



OFFICE, PRINCIPAL, GOVT. LAHIRI PG COLLEGE
CHIRIMIRI, DIST. KOREA C.G.

"C" Grade Awarded By NAAC

Affiliated to Sarguja University, Ambikapur
Email-govtlahiripgcollege@gmail.com

Website- www.govtlahiripgcollege.org
College Code 3707 Phone No. 07771-265026

कमांक / 352 / स्था. / 2021

चिरमिरी, दिनांक

/ / 2021

प्रति,

श्रीमती शर्मा
Dr. राजेंद्र क. शर्मा
इन्दीबाड़ी चिरमिरी

विषय - महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन कार्य करने हेतु आमंत्रण ।

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर (छ0ग0) के पत्र कमांक /339/
निस/आउशि/2021 नवा रायपुर, दिनांक 23/02/2021 के तहत महाविद्यालय में रिक्त पदों पर राज्य सरकार के
निर्देशानुसार अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर आपका चयन वाणिज्य
विषय में नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन किया गया है । आप अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ
दिनांक 08/03/2021 को उपस्थित हों । निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने पर यह आमंत्रण निरस्त
माना जाएगा ।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200.00 रुपये (अधिकतम 800.00 रुपये प्रतिदिन तक) की दर से मानदेय होगा जो प्रतिमाह 20800.00 (बीस हजार आठ सौ रुपये) से अधिक नहीं होगा । प्रति व्याख्यान 40 मिनट का होगा ।
2. इस प्रयोजन हेतु आपके द्वारा किया गया अध्यापन कार्य भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही आप अधिमानिक बर्ताव के हकदार होंगे ।
3. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाते ।
4. आपके द्वारा किया जाने वाला अध्यापन कार्य स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन कार्य सम्पन्न होने तक ही मान्य किया जाएगा ।
5. लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा शासन द्वारा संविदा या अन्य नियुक्ति अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित होने पर आपकी नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जाएगी ।
6. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी और बगैर किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी ।
7. आप महाविद्यालय की गरिमा, अनुशासन एवं कार्यालयीन समय को ध्यान में रखकर कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे ।
8. पुलिस अथवा न्यायालय में अपराधिक प्रकरण में विचाराधीन नहीं होने तथा किसी अन्य शासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं होने संबंधी नोटरी द्वारा जारी शपथ-पत्र उम्मीदवार को प्रस्तुत करना होगा ।


PRINCIPAL
Govt. Lahiri P.G. College
Chirimiri, Distt.- Korea (C.G.)

पृ.कमांक / / स्था. / 2021

चिरमिरी, दिनांक

/ / 2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ0ग0)
2. कलेक्टर, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ0ग0)

प्राचार्य

पति,

शुभेन्द्र सिंह राठी

शासकीय स्कूल के पास लकीज रोड

बल्लिवड़ी चिरमिरी

विषय- महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन कार्य करने हेतु आमंत्रण।

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर, दिनांक 24/07/2018 के तहत महाविद्यालय में रिक्त पदों पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार अतिथि व्याख्याता हेतु आपके आवेदन पत्र में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर आपका चयन.....व्यक्तिगत..... विषय में नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन किया गया है। आप अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ दिनांक10/08/18 उपस्थित हों। निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने पर यह आमंत्रण स्वमेव निरस्त माना जाएगा।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200.00 रुपये (अधिकतम 800.00 रुपये प्रतिदिन तक) की दर से मानदेय होगा जो प्रतिमाह 20800.00 (बीस हजार आठ सौ रुपये) से अधिक नहीं होगा। प्रति व्याख्यान 40 मिनट का होगा।
2. इस प्रयोजन हेतु आपके द्वारा किया गया अध्यापन कार्य भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और नही आप अधिमानिक बर्ताव के हकदार होंगे।
3. अतिथि व्याख्याता किसी भी हिसाब से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत 'लोक सेवक' नहीं माने जाते।
4. आपके द्वारा किया जाने वाला अध्यापन कार्य स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन कार्य सम्पन्न होने तक ही मान्य किया जाएगा।
5. लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा शासन द्वारा संवदि या अन्य नियुक्ति अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित होने पर आपकी नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जाएगी।
6. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी और बगैर किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।
7. आप महाविद्यालय की गरिमा, अनुशासन एवं कार्यालयीन समय को ध्यान में रखकर कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे।
8. पुलिस अथवा न्यायालय में अपराधिक प्रकरण में विचारधीन नहीं होने तथा किसी अन्य शासकीय/अशासकीय सेवा में नही होने संबंधी नोटरी द्वारा जारी शपथ-पत्र उम्मीदवार को प्रस्तुत करना होगा।


Principal
Govt. Lahiri College
Chirmiri, Distt.-Koria (C.G.)

पृ. क्रमांक / 132B-6 / स्था. / 2018-19

प्रतिलिपि:-

चिरमिरी, दिनांक 06/08/18

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)
2. कलेक्टर, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)

प्राचार्य,